

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- ई-11/नर्स-2/ए-4/17/ दिनांक:-

संशोधित-आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-11/नर्स-2/(लूज)/09/524 दिनांक 10.02.10 द्वारा श्री अशोक कुमार मीणा, नर्स-2, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर (भीलवाडा) को प्रोबेशन काल में स्वीकृत 99 दिवस असाधारण अवकाश के कारण वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या प.1 (2) वित्त/नियम/06 पार्ट-1 दिनांक 22.05.09 के अनुसरण में प्रोबेशन काल में 99 दिवस के स्थान पर 09 दिवस की अभिवृद्धि की जाती है, के फलस्वरूप निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-11/नर्स-2/ आरपीएससी /स्थाईकरण/2010/ 503 दिनांक 18.06.10 में संशोधन करते हुये प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि 23.04.10 के स्थान पर दिनांक 02.05.10 पढी जावें।

-स/-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्स-2/ए-4/17/945 दिनांक:- 09/11/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को उनके पत्रांक 4407 दिनांक 24.05.2017 के क्रम में।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर (भीलवाडा)।
4. श्री अशोक कुमार मीणा, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभागा सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना।
6. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।